

✓

LD - 183
B.A.LL.B
9th Semester Examination, **June**-2021

Law of Right to Information

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 100
[Minimum Pass Marks : 36

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note : Answer all questions. All questions carry equal marks

ईकाई / Unit - I

1. "सूचना" एवं "सूचना का अधिकार" को समझाइए। एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझाइए।

Explain 'Information' and 'Right to Information'? Explain the procedure of obtaining information under Right to Information Act, 2005.

अथवा / OR

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत लोक प्राधिकारी की बाध्यताएँ एवं लोक सूचना अधिकारी के पदनाम संबंधी प्रावधानों को समझाइए।

Explain the provisions and obligations of Public Authorities and designations of Public Information Officer under RTI Act, 2005.

ईकाई / Unit - II

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मुख्य सूचना आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया को निर्णीत प्रकरणों का संदर्भ देते हुए समझाइए।

Explain the removal of Chief Information Commissioner under RTI Act, 2005 with reference of leading cases.

अथवा / OR

निम्नलिखित को समझाइए: -

- (अ) मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि एवं सेवा शर्तें
- (ब) केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन एवं शक्तियाँ

Explain the following: -

- (a.) Terms of the office and conditions of Chief Information Commissioner
- (b.) Constitution and powers of the Central Information Commission.

ईकाई/Unit - III

3. राज्य सूचना आयोग के गठन एवं कार्य संबंधित प्रावधानों को समझाइए।

Discuss the provisions relating to Constitution of State Information Commission and functions of state information commission.

अथवा/OR

"मुख्य सूचना आयुक्त" से आपका क्या आशय है? मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि एवं सेवा शर्तों को समझाइए।

What do you mean by 'State Chief Information Commissioner'? discuss their terms of office and service conditions.

ईकाई/Unit - IV

4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपील संबंधित प्रक्रिया को समझाइए।

Explain the procedure for appeals under Right to Information Act, 2005.

अथवा/OR

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग की कार्य एवं शक्तियों संबंधित प्रावधानों को समझाइए।

Discuss the function and powers of Central Information Commission and State Information Commission under RTI Act, 2005.

ईकाई/Unit - V

5. निम्नलिखित को समझाइए: –

- (अ) निगरानी तथा रिपोर्ट तैयार करना
- (ब) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति

Explain the following –

- (a.) Monitoring and reporting
- (b.) Rulemaking power of appropriate government under RTI Act, 2005

अथवा/OR

निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए: –

- (अ) सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण
- (ब) अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना

Write notes on the following –

- (a.) Protection of action taken in good faith
- (b.) Act not to apply to certain organisations